



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2012/RTI-2/1/2014/53

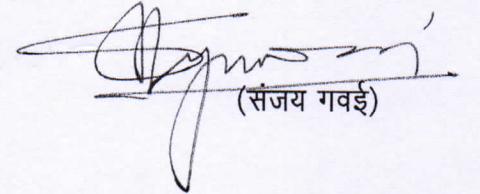
दिनांक: 16.01.2015

परिपत्र

लोक सूचना अधिकारी द्वारा माननीय प्रतिकुलपति महोदय को प्राप्त पत्र सं. 27/2014-15/1137/म.गां.अ. हि.वि. दिनांक 13 जनवरी, 2015 के माध्यम से जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (4, 5) के अंतर्गत निम्न जानकारी मांगी गई है-

घ. विश्वविद्यालय के किन-किन विभागों के अध्यापकों के प्रति उनके शोधार्थियों द्वारा काम न कराने/शोध निर्देशक बदलने/प्रताड़ित करने संबंधी आरोप लगाए गए हैं? उनकी छायाप्रति उपलब्ध कराएँ। क्या इन अध्यापकों के प्रति भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? यदि हाँ तो छायाप्रति उपलब्ध कराये और यदि नहीं, तो किन कारणों से कार्रवाई नहीं की गई है?

उक्त के आलोक में सभी विभागाध्यक्षों/निदेशकों/केंद्राध्यक्षों से अनुरोध है कि उनके विभाग से संबंधित जानकारी (यदि हो तो) तत्काल लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
5. सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक/केंद्राध्यक्ष
6. इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्र/ कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र
7. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फ़ाइल